जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह– उपायुक्त का कार्यालय, खूँटी

(पंचायत शाखा)

नगरपालिका (आम) निर्वाचन –2018 हेतु

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण

नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2018 के निमित खूँटी जिलार्न्तगत भोजन/नास्ता आपूर्ति कार्य के लिये इच्छुक प्रतिष्ठानों, दुकानदारों, आपूर्तिकर्त्ताओं से मुहरबंद निविदा अमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता दिनांक 26.03.2018 को अपराह्न 2:00 बजे तक जिला पंचायत शाखा, खूँटी के कार्यालय में निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मुहरबंद निविदा दे सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाऐं स्वीकार नही की जाएगी। प्राप्त मुहरबंद निविदायें उसी दिन अर्थात 26.03.2018 को ही उपराह्न 3:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

सामाग्रियों की विवरणी एवं शर्ते निम्नवत हैः–

क्र0	सामग्री	मात्रा
1	2	3
1	चाय	प्रति कप
2	कॉफी	प्रति कप
3	मिनरल वाटर (12 बोतल 1 ली0 का) /500 एम0एल0/250 एम0एल0	प्रति बोतल
4	4 कचौड़ी, 2 जलेबी सब्जी के साथ	प्रति प्लेट
5	समोसा	प्रति पीस
6	भेजीटेबल चॉप	प्रति पीस
7	आलू चॉप	प्रति पीस
8	पनीर पकौड़ा (4 पीस)	प्रति प्लेट
9	रसगुल्ला (काला)	प्रति पीस
10	रसगुल्ला (उजला)	प्रति पीस
11	काजू बर्फी	प्रति पीस
12	रोटी (सादा)	प्रति पीस
13	रोटी (तन्दुरी)	प्रति पीस
14	पनीर सब्जी	प्रति प्लेट
15	मिक्स सब्जी	प्रति प्लेट
16	आलू परवल सब्जी	प्रति प्लेट
17	चावल प्लेन (200 ग्राम)	प्रति प्लेट
18	चावल फ्राई (200 ग्राम)	प्रति प्लेट
19	दाल प्लेन (50 ग्राम)	प्रति प्लेट
20	दाल फ्राई (50 ग्राम)	प्रति प्लेट
21	सलाद एवं आचार	प्रति प्लेट
22	पापड़	प्रति पीस
23	भोजन शाकाहरी (2 रोटी, हाफ चावल, दाल, सब्जी, भुजिया, अचार,सलाद एवं 01 पीस 01 मीठा के साथ)	प्रति प्लेट

<u>निविदा की शर्तें :–</u>

1. सभी निविदायें द्विलिफाफा प्रणाली (Double Envelope System) के अनुसार डाली जायेगी।
2. निविदादाता एक लिफाफे पर साफ – साफ शब्दों में **"तकनीकी बीड"** लिखकर उसमें निविदा के साथ मांगे गये सारे कागजात और प्रमाण पत्र (अग्रधन राशि का ड्राफ्ट) डालेगें एवं उसे मुहरबन्द करेंगें तथा उस पर अपना नाम, मोबाईल संख्या एवं पता साफ –साफ लिखेगें।
3. दूसरे लिफाफे पर साफ–साफ शब्दों में **"वित्तीय बीड"** अंकित करेंगे। उस लिफाफे में प्रत्येक सामग्रियों का अलग–अलग दर आकार के अनुसार अंकित कर मुहरबंदकरेंगे।
4. उस लिफाफे में दर के अलावे कोई अन्य कागजात नहीं डाला जाएगा। लिफाफे पर अपना नाम एवं पता साफ–साफ अंकित करेंगे।
5. तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड दोंनों मुहरबन्द लिफाफे को एक साथ एक तीसरे लिफाफे में डालकर उस लिफाफे को मुहरबन्द करेगें। लिफाफे के उपर में साफ–साफ लिखेंगे। ''नरपालिका निर्वाचन 2018 के निमित खूँटी जिलान्तर्गत भोजन/नाश्ता आपूर्ति कार्य हेतु निविदा'' उस लिफाफे में अपना नाम एवं दूरभाष संख्या अंकित करेंगे तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह– उपायुक्त, खूँटी के पदनाम से मुहरबंन्द लिफाफा, स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक से भेजेंग अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कार्यालय अवधि में जमा करेंगे।
6. निविदादाता तकनीकी बीड के साथ अग्रधन के रूप में नाश्ता/भोजन आपूर्ति कार्य के प्रत्येक मामले में 5,000.00 (पांच हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह– उपायुक्त, खूँटी के पदनाम से भुगतेय होगा, देंगे। जिस निविदा के साथ बैंक ड्राफ्ट नहीं होगा उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. पहले तकनीकी बीड खोली जाएगी और निविदाताओं की उपस्थिति में उनका तकनीकी मूल्यांकन किया जायेगा। जिस निविदादाता को तकनीकी रूप से योग्य पाया जाएगा, उन्हीं का वित्तीय बीड खोला जाएगा।
8. जिनका दर न्यूनत होगा उन्हें कार्यादेश निर्गत किया जाएगा। एक से अधिक निविदादाताओं का दर न्यूनतम होने पर उनके बीय समानुपातिक रूप से कार्य वितरण किया जा सकता है। कार्यादेश के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी, जिसके लिये अलग से कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।
9. निविदादाता को सामग्रियों को आपूर्ति हेतु कोई अग्रिम राशि नहीं दी जाएगी, किन्तु कार्य समाप्त होने और गुणवत्तायुक्त मानक स्तर का कार्य पाये जाने पर आवंटन की पर्याप्त उपलब्धता पर निविदादाता को तुरन्त सम्पूर्ण राशि का भुगतान किया जाएगा। नाश्ता/भोजन की आपूर्ति समय पर नहीं करने अथवा गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर सम्पूर्ण राशि का भुगतान रोकने या समानुपातिक कटौती करने/अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
10. जिन निविदादाताओं की निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी उनका अग्रधन के रूप में जमा ड्राफ्ट अविलम्ब वापस कर दिया जाएगा।
11. निविदा दर सभी कर सहित होना चाहिए।
12. निविदा में स्वीकृत दर के अनुरूप आपूर्ति किये गये सामग्री/किये गये क्रय पर वित्त विभाग झारखण्ड राँची के आधार पर लागू श्रोत पर कर/आयकर की कटौती करते हुए विपत्र भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।
13. यदि राज्य स्तर/आयुक्त दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची के द्वारा उक्त कार्य हेतु दर निर्धारित होता है तो जो दर न्यूनतम होगा उस दर पर भुगतान किया जायेगा।
14. निविदा अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम दर पर एक या एक से अधिक निविदादाता के बीच कार्यादेश निर्गत करने एवं निविदा को पूर्णतः अंशतः स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

ह0/–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
(नगरपालिका)
–सह–
जिला दण्डाधिकारी, खूँटी।